

An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
18 संस्थागत ब्लैक, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

मुख्यालय, नई दिल्ली /Head Quarters, New Delhi

18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.

Tel.: 26858570 Fax 26514179

Website: www.kvsangathan.nic.in

E-mail: acedpkvs@gmail.com

Dated: 22-06-2022

E-mail

File No: 11-Acad029(Misc)/57/2020-Academic /774-806


उपायुक्त,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ZIETs

Sub.: - Launch of "National Cyber Crime Reporting Portal" – Reg.

महोदया/ महोदय,

This is to inform that Ministry of Home Affairs has launched "National Cyber Crime Reporting Portal" www.cybercrime.gov.in for reporting all types of cyber crimes, especially cyber crimes against women and children. The steps taken by the Central Government in this regard to spread awareness on prevention of cyber crime is enclosed.

It is requested to circulate above mentioned letter with content in all Kendriya Vidyalayas under your jurisdiction for mass awareness among students, teachers and all stakeholders with wide publicity on websites of KVs.

Yours faithfully,

(Pallavi Sharma)
Deputy Commissioner (Trg./EDP)

Encl: As above.

Copy for information to:-

- (1) The Joint Commissioner (Trg./IT) KVS Hq New Delhi.
- (2) The Section Officer (UT.2) Ministry of Education, Shastri Bhawan, New Delhi.
- (3) Website of KVS/Notice Board/ e-office portal.

Steps taken by the Central Government to spread awareness on prevention of cyber crime

- i. MHA's has launched '@CyberDost' twitter handle to spread awareness on cybercrime prevention and tweeted over 1066 cyber safety tips through short videos, images and creatives. It has more than 3.64 lakh followers.
- ii. Radio campaign.
- iii. Sent more than 100 crore SMSs on cybercrime awareness to public.
- iv. Publicity at regular interval on prevention of cyber crime and cyber safety tips through various Videos/GIFs initiated on various platforms as under:

Twitter	https://twitter.com/Cyberdost
Facebook	https://www.facebook.com/CyberDostiI4C
Instagram	https://www.instagram.com/cyberdosti4c
Telegram	https://t.me/cyberdosti4c

- v. MyGov has been engaged by the I4C for the publicity on the topic of prevention of cyber crimes through multiple mediums.
- vi. Published 'Handbook for adolescents/students on cyber safety'.
- vii. Published 'Information Security Best practices' for the benefit of Government Officials.
- viii. Organized of Cyber Safety and Security Awareness weeks through the C-DAC in association with Police Department in different States.
- ix. 148 Cyber Crimes Advisories have been shared by the I4C with States/UTs, Ministries/Departments as a preventive measure.
- x. Issued alerts/advisories to States/UTs from time to time.
- xi. Delhi Metro has been requested to publicize the National Cyber Crime Reporting Portal and National Toll-Free Helpline Number '1930'.
- xii. Two bilingual Manuals on "Cyber Hygiene for Cyber Space - Do's and Don'ts" (Basic and Advanced version) released in January, 2022 to provide basic cyber hygiene regarding internet safety, email, mobile safety, etc.
- xiii. States/UTs have been requested by the MHA to organize "Cyber Jaagrookta Diwas" on first Wednesday of every month at 11 am on cyber hygiene commencing from 6th October 2021 (Wednesday) onwards and launch mass awareness campaign in vernacular languages for all schools/colleges. Also requested to prepare 'Annual Action Plan' in this regard.
- xiv. The Ministry of Education has been requested to commence Curriculum in cyber security and cyber hygiene from 6th to 12th standards for all the streams, so as to provide basic awareness to all students in schools for all CBSE schools at Central/State/UT level.
- xv. Quarterly Newsletter of I4C (1st and 2nd Edition) launched in January, 2022 to share information to counter the menace of cyber crime to Law Enforcement Agencies and Policymakers. The Newsletter comprises of latest cyber crimes trends, cyber crime statistics, National/International developments relating to prevention of cyber crimes, etc.

साइबर अपराध रोकथाम विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाये गए कदम

- i. साइबर अपराध रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा '@CyberDost' ट्विटर हैंडल लॉन्च किया गया है जिस पर अभी तक लघु वीडियो, छवियों और रचनात्मक चीजों के माध्यम से 1066 से अधिक साइबर सुरक्षा टिप्स साझा किए गए हैं। इसके 3.64 लाख से अधिक फॉलोवर हैं।
- ii. रेडियो अभियान।
- iii. जनता को साइबर अपराध जागरूकता के बारे में 100 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे।
- iv. साइबर अपराध रोकथाम और साइबर सुरक्षा टिप्स के बारे में निम्नलिखित मंचों पर वीडियो/जीआईएफ के माध्यम से नियमित अंतराल पर प्रचार शुरू किया गया।

ट्विटर	https://twitter.com/Cyberdost
फेसबुक	https://www.facebook.com/CyberDostI4C
इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/cyberdosti4c
टेलीग्राम	https://t.me/cyberdosti4c

- v. आई4सी द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से विभिन्न माध्यमों से प्रचार के लिए MyGov से अनुबंध किया गया है।
- vi. साइबर सुरक्षा विषय पर किशोर/छात्रों के लिए हैंडबुक प्रकाशित की गई।
- vii. सरकारी अधिकारियों के लाभ के लिए 'सूचना सुरक्षा सर्वोलम पद्धतियां' प्रकाशित की गई।
- viii. विभिन्न राज्यों में पुलिस विभाग के सहयोग से सी-डैक के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।
- ix. आई4सी द्वारा निवारक उपाय के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, मंत्रालयों/विभागों के साथ 148 साइबर अपराध परामर्श साझा किए गए हैं।
- x. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर चेतावनी/सलाह जारी की।
- xi. दिल्ली मेट्रो से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' का प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध किया गया है।
- xii. इंटरनेट सुरक्षा, ईमेल, मोबाइल सुरक्षा आदि के संबंध में बुनियादी साइबर स्वच्छता प्रदान करने के लिए जनवरी, 2022 में "साइबर स्पेस के लिए साइबर स्वच्छता - क्या करें और क्या न करें" (मूल और उन्नत संस्करण) पर दो द्विभाषी मैनुअल जारी की गई।
- xiii. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से साइबर स्वच्छता विषय पर 6 अक्टूबर, 2021 (बुधवार) से शुरूआत करते हुए हर महीने के पहले बुधवार को सुबह 11 बजे "साइबर जागरूकता दिवस" आयोजित करने और सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए स्थानीय भाषाओं में जन जागरूकता शुरू करने और इस संबंध में 'वार्षिक कार्रवाई योजना' तैयार करने का अनुरोध किया है।
- xiv. शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि 6वीं से 12वीं कक्षा तक सभी स्ट्रीम्स के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर स्वच्छता में पाठ्यक्रम शुरू किया जाए ताकि केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सभी सीबीएसई स्कूलों में सभी छात्रों को बुनियादी जानकारी दी जा सके।
- xv. आई4सी का ट्रैमासिक न्यूज़लेटर (पहला और दूसरा संस्करण) जनवरी, 2022 में लॉन्च किया गया ताकि विधि प्रवर्तन एजेंसियों और नीति निर्माताओं को साइबर अपराध के खतरे का मुकाबला करने के लिए जानकारी साझा की जा सके। इस न्यूज़लेटर में नवीनतम साइबर अपराध प्रवृत्तियां, साइबर अपराध आंकड़े, साइबर अपराधों की रोकथाम से संबंधित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आदि शामिल हैं।

साइबर अपराध रोकथाम विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाये गए कदम

- i. साइबर अपराध रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा '@CyberDost' ट्रिटर हैंडल लॉन्च किया गया है जिस पर अभी तक लघु वीडियो, छवियों और रचनात्मक चीज़ों के माध्यम से 1066 से अधिक साइबर सुरक्षा टिप्स साझा किए गए हैं। इसके 3.64 लाख से अधिक फॉलोवर हैं।
- ii. रेडियो अभियान।
- iii. जनता को साइबर अपराध जागरूकता के बारे में 100 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे।
- iv. साइबर अपराध रोकथाम और साइबर सुरक्षा टिप्स के बारे में निम्नलिखित मंचों पर वीडियो/जीआईएफ के माध्यम से नियमित अंतराल पर प्रचार शुरू किया गया:

ट्रिटर	https://twitter.com/Cyberdost
फेसबुक	https://www.facebook.com/CyberDostI4C
इंस्टाग्राम	https://www.instagram.com/cyberdosti4c
टेलीग्राम	https://t.me/cyberdosti4c

- v. आई4सी द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से विभिन्न माध्यमों से प्रचार के लिए MyGov से अनुबंध किया गया है।
- vi. साइबर सुरक्षा विषय पर किशोर/छात्रों के लिए हैंडबुक प्रकाशित की गई।
- vii. सरकारी अधिकारियों के लाभ के लिए 'सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम पद्धतियाँ' प्रकाशित की गई।
- viii. विभिन्न राज्यों में पुलिस विभाग के सहयोग से सी-डैक के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।
- ix. आई4सी द्वारा निवारक उपाय के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, मंत्रालयों/विभागों के साथ 148 साइबर अपराध परामर्श साझा किए गए हैं।
- x. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर चेतावनी/सलाह जारी की।
- xi. दिल्ली मेट्रो से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' का प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध किया गया है।
- xii. इंटरनेट सुरक्षा, ईमेल, मोबाइल सुरक्षा आदि के संबंध में बुनियादी साइबर स्वच्छता प्रदान करने के लिए जनवरी, 2022 में "साइबर स्पेस के लिए साइबर स्वच्छता - क्या करें और क्या न करें" (मूल और उत्तर संस्करण) पर दो द्विभाषी मैनुअल जारी की गई।
- xiii. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से साइबर स्वच्छता विषय पर 6 अक्टूबर, 2021 (बुधवार) से शुरूआत करते हुए हर महीने के पहले बुधवार को सुबह 11 बजे "साइबर जागरूकता दिवस" आयोजित करने और सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए स्थानीय भाषाओं में जन जागरूकता शुरू करने और इस संबंध में 'वार्षिक कार्यवाई योजना' तैयार करने का अनुरोध किया है।
- xiv. शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि 6वीं से 12वीं कक्षा तक सभी स्ट्रीम्स के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर स्वच्छता में पाठ्यक्रम शुरू किया जाए ताकि केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सभी सीबीएसई स्कूलों में सभी छात्रों को बुनियादी जानकारी दी जा सके।
- xv. आई4सी का ट्रैमासिक न्यूज़लेटर (पहला और दूसरा संस्करण) जनवरी, 2022 में लॉन्च किया गया ताकि विधि प्रवर्तन एजेंसियों और नीति निर्माताओं को साइबर अपराध के खतरे का मुकाबला करने के लिए जानकारी साझा की जा सके। इस न्यूज़लेटर में नवीनतम साइबर अपराध प्रवृत्तियाँ, साइबर अपराध आंकड़े, साइबर अपराधों की रोकथाम से संबंधित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आदि शामिल हैं।